उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-4/2017/15/140/81/का-1-2017
लखनऊ :: दिनांक 12 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

**विषय:-सेवाओं का वर्गीकरण ।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसरण में वेतनमानों के आधार पर सेवाओं के सामान्य वर्गीकरण के आदेश कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/140/81/का-1-2012, दिनांक 14 मई, 2012 द्वारा जारी किये गये थे । उक्त के अनुसार विभिन्न सेवाओं को समूह-क, ख, ग तथा घ में वर्गीकृत किया गया था ।

2- वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों एवं अन्य संगत तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य कर्मचारियों हेतु दिनांक 01.01.2016 से प्रवर्तित नवीन वेतन संरचना के आधार पर विभिन्न सेवाओं का, उन प्रयोजनों, जिसके लिए विशिष्ट वर्गीकरण अलग से किया गया हो अथवा शासन द्वारा समय-समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाय, को छोड़कर, सामान्य वर्गीकरण, निम्नवत् किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| क्र०सं० | पदों का विवरण | वर्गीकरण |
|---|---|---|
| 1 | वेतन लेवल-11 (रू०67,700-2,08,700) व अधिक वेतन लेवल के पद । | समूह "क" |
| 2 | वेतन लेवल-7 (रू०44,900-1,42,400) व अधिक किन्तु वेतन लेवल-11 (रू०67,700-2,08,700) से कम के पद । | समूह "ख" |
| 3 | वेतन लेवल-2 (रू०19,900-63,200) व अधिक किन्तु वेतन लेवल-7 (रू०44,900-1,42,400) से कम के पद । | समूह "ग" |
| 4 | वेतन लेवल-2 (रू०19,900-63,200) से कम के पद । | समूह "घ" |

यह वर्गीकरण सामान्यत: सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों, प्रोन्नतियों तथा प्रास्थिति (स्टेटस) के सम्बन्ध में लागू होगा ।

**दीपक त्रिवेदी**
अपर मुख्य सचिव।

क्रमश: 2 /-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या-4/2017/15/140/81(i)/का-1-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के निजी सचिव।
8. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10. सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ ।
11. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**अनिल कुमार सिंह**

अनु सचिव।

www.bhartiyasarkaripariksha.org
http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।